eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

विकसित भारत @ 2047 (लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण)

प्रीती मेहरोत्रा[1]
[1]प्रवक्ता– बीएड विभाग, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद उ0प्र0

Received: 21 April 2026 Accepted & Reviewed: 25 April 2026, Published: 30 April 2026

Abstract

यह शोध पत्र विकसित भारत @ 2047 के लिए प्रयासरत लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण पर केंद्रित है। भारतीय समाज कई भागों में बँटा हुआ है–जाति, वर्ग, लिंग आदि जिनमें काफी असमानता पाई जाती है। भारत में लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण का प्रयास संघर्षों से भरा हुआ लेकिन आशापूर्ण है भारत में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाए गए हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक समाज को आगे बढ़ना होगा एवं परिवर्तित भूमिका निभानी होगी क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों के रोल मॉडल होते हैं महिला सशक्तिकरण की पहल वर्तमान एवं भविष्य में व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास और विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकती है बिना इस लक्ष्य को प्राप्त किये विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती भारत में व्याप्त पितात्मक सोच को समाप्त करने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर ही लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार को लागू किया जा सकता है जो नितांत आवश्यक है।

कुंजी शब्द– सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी, लैंगिक समानता, विकसित भारत @2047, मूल अधिकार

Introduction

लैंगिक समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को चाहे वह किसी भी लिंग के हो समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिलना चाहिए इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के अवसर उसके लिंग से निर्धारित ना हो यह एक मानवाधिकार है और सामाजिक प्रकृति के लिए आवश्यक है।

मुख्य बिंदु–

- समान अधिकार और अवसर
- भेदभाव मुक्त समाज
- सभी के लिए यानी यह केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुष ट्रांसजेंडर और अन्य लिंग विविध लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है
- सामाजिक और आर्थिक विकास
- सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संदर्भ–**यूनिसेफ** के अनुसार कई समाजों में विशेषकर भारत जैसे देशों में पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं जिसका लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

शोध का उद्देश्य –

1. महिला सषक्तिकरण एवं लैगिक समानता को सुनिष्चित करना।
2. महिलाओं के लिए संविधानिक प्रावधान प्रस्तुत करना।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

लैंगिक समानता– लैंगिक समानता का अर्थ है– महिला एवं पुरुष को समान अधिकार, जिम्मेदारी और अवसर प्रदान करना एवं लिंग के आधार पर कोई भेद न किया जाए। यह एक मूलभूत अधिकार है जो समाज को अधिक सुरक्षित स्वस्थ एवं समृद्धशाली बनाता है तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकता है।

सशक्तिकरण– सशक्तिकरण विशेषकर महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को स्वयं नियंत्रण रखना, स्वतंत्र निर्णय लेने और समाज के समान नागरिकों के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

- लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरण एक साथ कार्य करते हैं।
- लैंगिक समानता लक्ष्य है तो सशक्तिकरण उस लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन।
- सशक्तिकरण महिलाओं को समाज में पूर्ण एवं समान भागीदार के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाता है जिससे अंतत लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त होती है।

लैंगिक समानता के मुद्दे एवं चुनौतियां–

- **लिंग वेतन अंतर–** वेतन असमानता और व्यावसायिक पृथक्करण के कारण महिलाएं अक्सर समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम कमाती हैं।
- **नेतृत्व में अल्प प्रतिनिधित्व**– महिलाएं और हाषिए पर खड़े लिंग कार्यकारी भूमिकाओं वाले, राजनीति और कॉर्पोरेट नेतृत्व में अल्प प्रतिनिधित्व वाले बने हुए हैं।
- **शिक्षा में बाँधाऐं** –षिक्षा प्राप्त करने में दुनिया के कई हिस्सों में सांस्कृतिक मानदंडों गरीबी या संसाधनों की कमी के कारण लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में बाँधाओं का सामना करना पड़ता है। अभी भी शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों एवं जनजातियों में कन्याओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं तक आसमान पहुंच–** महिलाओं और LGBTQ+ व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव, सीमित प्रजनन अधिकारों तथा लिंग विशिष्ट अनुसंधान की कमी का सामना करना पड़ सकता है
- **कार्य स्थल पर भेदभाव**– लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव और परिवार के अनुकूलन नीतियों का अभाव करियर की उन्नति में बाधा डालते हैं।
- **लिंग आधारित हिंसा**– घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी महिलाओं और हाषिये पर रहने वाले समूह को असमान रूप से प्रभावित करती हैं।
- **खेलों में असमानताएं–** महिला एथलीटों को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम मीडिया कवरेज, फंडिंग और पुरस्कार राशि मिलती है
- **कानूनी सुरक्षा का अभाव**– कई देशों में लैंगिक भेदभाव उत्पीड़न LGBTQ+ अधिकारों से संबंधित कानून अपर्याप्त हैं।
- **अभ्यास में देखभाल कार्य–** महिलाएं घरेलू और देखभाल संबंधित जिम्मेदारियों का बोझ असमान रूप से उठाती है जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है
- **रूढ़िवादिता और सांस्कृतिक मानदंड–** गहरी जड़े जमी हुई लैंगिक भूमिका और सामाजिक अपेक्षाएं अवसरो को सीमित करती हैं और असमानता को मजबूत करती हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

भारत में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाए गए हैं जिनमें वैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 14–16) और दहेज निषेध अधिनियम निषेध, घरेलू हिंसा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून शामिल हैं। शिक्षा उद्यमिता और वित्त तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना भी प्रमुख रणनीतियां हैं।

भारत के संविधान में कई प्रावधान शामिल हैं जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे का समर्थन करते हैं ऐसे कुछ प्रमुख प्रावधानों को दर्शाया गया है

मूल अधिकार–

- अनुच्छेद 14 महिलाओं सहित सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता या विधि से समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है
- लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है

अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के संचय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की अनुमति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं के लिए समान अवसर प्रदान करता है यह लिंग आदि के आधार पर किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए भेदभाव या अयोग्य घोषित करने पर भी प्रतिबंध लगाता है।

अनुच्छेद 21 इस अनुच्छेद के द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की जाती है इसकी परिधि में कई अधिकार शामिल हैं जिसमें महिलाओं के साथ शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध करता है जिसमें महिलाओं की खरीद–फरोख्त, महिलाओं का अनैतिक व्यापार, वेश्यावृत्ति आदि शामिल हैं।

राज्य नीति के निदेशक तत्व–

अनुच्छेद 39 राज्यों को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 42 राज्यों को कार्य की उचित और मानवीय स्थितियां एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।

अनुच्छेद 44 राज्यों को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कोर्ट विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेगा।

अनुच्छेद 45 राज्यों को सभी बच्चों जिसमें बालिकाएं भी शामिल है के लिए 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है।

मौलिक कर्तव्य–

अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है।

अनुच्छेद 51 ए– प्रत्येक माता–पिता/अभिभावक पर अपने बच्चे या वार्ड को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित करता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

अन्य संवैधानिक प्रावधान–

अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है

अनुच्छेद 243T शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) 2023[128वॉ संविधान संशोधन अधिनियम] ने लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण के लिए तीन नए अनुच्छेद जोड़े हैं।

अनुच्छेद 239AA: दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है

अनुच्छेद 330 A : लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 332 A : राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए एक सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधान– भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख कानूनी प्रावधानों को इस प्रकार देखा जा सकता है।

महिलाओं का सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण–

- **भारतीय दंड संहिता (IPC)–** इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या और एसिड हमले जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने वाले विभिन्न खंड शामिल हैं।
- **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005–** घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को सिविल मामलों के अधीन न्याय/उपाय प्रदान किया जाता है और उन्हें सुरक्षा आदेश और निवास अधिकार प्राप्त करने का अधिकार देता है।
- **दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961–**दहेज देने या लेने को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करता है।
- **सती (निवारण) आयोग अधिनियम 1987–** सती प्रथा को दंडनीय अपराध मानता है जहां एक विधवा को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **बाल विवाह– निषेध अधिनियम 2006–** बाल विवाह और उससे जुड़े नुकसानों को खत्म करने के उद्देश्य से बालिकाओं के लिए विभाग की कानूनी आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

- **न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948–** विभिन्न क्षेत्रों में सभी श्रमिकों जिनमें महिलाएं भी शामिल है के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976–** लिंग के आधार पर मजदूरी और वेतन के मामलों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है इसलिए कार्य स्थल में लैंगिक समानता के लक्ष्य को बढ़ावा मिलता है।
- **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961–** प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

- **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न(निवारण निषेध और निवारण) अधिनियम 2013–** सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़त को रोकने तथा निवारण के लिए प्रणाली का निर्माण करता है इस प्रकार यह कार्यस्थल के लैंगिक समांतर के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण–

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950–** महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है
- **परिसीमन आयोग अधिनियम 2002–** निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करते समय महिला मतदाताओं की संख्या पर विचार करने का आदेश देता है जिससे संभावित रूप में उनके चुनावी क्षमता में वृद्धि होती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए सरकारी योजनाएं– सरकार ने भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं भारत में प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों पर नीचे चर्चा की गई है। महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण, राष्ट्रीय महिलाओं की समग्र उन्नति, विकास और सशक्तिकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है इसका उद्देश्य महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले समग्र प्रक्रिया को मजबूत करना है तथा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में लैंगिक बजट लागू किया जा रहा है इसका अर्थ है सरकारी बजट तैयार करते समय महिला और पुरुषों की जरूरत और प्राथमिकताओं को अलग–अलग ध्यान में रखा जाता है लैंगिक बजट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजना कार्यक्रमों से महिलाओं को उतना ही लाभ मिले जितना कि पुरुषों को मिलता है।

- **महिलाओं का सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण :** बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ, योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, निर्भया फंड जैसी सांस्कृतिक–सामाजिक सशक्तिकरण योजनाओं का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना, बालिकाओं की शिक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं उन्हें एक स्वस्थ एवं सम्मानपूर्वक जीवन प्रदान करना है।
- **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :** स्टैंड अप इंडिया योजना प्रधानमंत्री जन–धन योजना, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण रोजगार कार्यक्रम, महिला ई–हॉट जैसी आर्थिक योजनाओं का लाभ देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है।
- **महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण :** प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम जैसी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न पहल महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए कौशल और ज्ञान से युक्त करने का लक्ष्य रखती हैं।

निष्कर्ष: – लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि महिलाएं और पुरुष एक ही तरह के हो जाएंगे बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि पुरुष और महिलाओं के अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर उनके लिंग पर निर्भर नहीं होंगे इस प्रकार यह लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। लैंगिक समानता

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

को एक मानवधिकार मुद्दे और सतत् जन विकास के लिए एक पूर्व शर्त और संकेतक दोनों के रूप में माना जाता है।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की अवधारणाएं परस्पर संबंध और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना महिला सशक्तिकरण के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है साथ ही लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए स्वाभाविक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता एक दूसरे को आगे बढ़ाती है और इसकी आवष्यकता भी है।

हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा विजन विकसित भारत @2047 बिना महिलाओं की भागीदारी के पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि देश की जनसंख्या का 50% भाग महिलाएं ही हैं अगर हमारे राष्ट्र को विकसित भारत @2047 बनना है तो महिलाओं के योगदान के बिना संभव नहीं है। लैंगिक समानता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौलिक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस प्रकार वास्तविक महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता प्राप्त करने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा तथा देश विकास की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

- जीनगर डॉ0 अमृत लाल, कुमारी डा0 प्रियंका, चौधरी डॉ0 रजनी, महिला सषक्तिकरण और नारीवाद
- जैन कामिनी, महिला सषक्तिकरण चुनौतियां और समाधान
- कुमारी सारिका महिला सषक्तिकरण और लैगिक समानता
- https://sdgindiaindex.nite.gov.in
- https://www.nestias.com.
- https://books.google.com.in.
- UN Sustainable Development Group https://unsdg.un.org
- गुप्ता राम बाबू, लिंग विद्यालय समाज, प्रकाषन भारतीय साहित्य प्रकाषन, 30 जुलाई 2024
- मैगजीन – योजना
  कुरूक्षेत्र
- समाचार पत्र –हिन्दुस्तान टाईम्स
  दैनिक जागरण